परिवहन अनुजापत्र - 1 सहायक

(देखिये नियम - 4)

पुर	त्तक क्रमांक		पृष्ठ क्रमांक
1.	क्रेता का नाम		
2.	इकाई क्रमांकरेन्ज		वन मण्डल
3.	परिवहन अनुज्ञा - 1 (मुख्य) का सन्दर्भ		
	(1) पुस्तिका क्रमांक पृष्ठ क्रमांव	Б <u></u> .	
	(2) अनुजापित मात्रा मानक बोरे		वास्तविक बोरे
	(3) दिनांक तक वैध है		
4.	इस प्रष्ठ के प्रसारित होने के पूर्व ही उपरोक्त		मानक बोरे
	अधिकार के अन्तर्गत परिवहन की गई मात्रा		वास्तविक बोरे
5.	इस अनुजापत्र के साथ अब परिवहन की जा रही		मानक बोरे
	मात्रा का उल्लेख (प्रत्येक बोरे के अनुक्रमांक तथा		वास्तविक बोरे
	प्रत्येक की मात्रा का उल्लेख करे)		
6.	स्थान से स्थान तव	Б	
7.	परिवहन मार्ग		
8.	जांच पड़ताल के स्थान		
9.	(दिनांक) तक अनुज्ञापत्र वैध है		
	टिप्पणी : जब तक खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा लिखित में अन्यथा उल्लेखित न हो समयावधि 48 घंटे से अधिक न होंगी		
	दिनांकसमय		
	जांच की गई		
		जारी व	करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी	नाम	
	के दिनांक सहित हस्ताक्षर	पद	